पुलिस विभाग जिला–अजमेर

।। प्रेस नोट दिनांक 28.08.2017 ।

शातिर वाहन चोर मेड़ता सिटी नागौर से गिरफ्तार, 04 साल से वाहन चोरी के प्रकरण में था वांछित

फोटो अरोपी मुकेश

पुलिस थाना कोतवाली में जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने संजय नगर खानपुरा, अजमेर निवासी इब्राहिम खांन द्वारा फरवरी 2013 में बाईक चोरी के दर्ज प्रकरण में वांछित अभियुक्त मुकेश (27) पुत्र खेमचन्द माली निवासी जोधपुर चौकी भैरूजी का बास मेड़ता सिटी नागौर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रकरण में फरवरी 2013 में अजमेर टावर, कचहरी रोड़ से मोटरसाईकिल चोरी हुई थी। प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लग चुकी थी, उसके बाद मोटर साइकिल नागौर यातायात पुलिस द्वारा एक शख्स के कब्जे से कागजात नहीं होने पर एमवी एक्ट में जब्त की गई थी, जिस पर मोटरसाईकिल को थाना कोतवाली अजमेर द्वारा बरामद कर वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले युवक की 04 साल से तलाश थी।

पुराने प्रकरणों के निस्तारण के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान में हैड कानिस्टेबल तेजाराम व कानिस्टेबल रमेश यादव की टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने दबिश देकर शख्स मुकेश को मेड़ता सिटी से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी चोरी की बाईक की नम्बर प्लेट हटाकर अपने घरेलू काम व आर.ओ. वाटर सप्लाई के काम में लेना बताया। अरोपी मुकेश मेड़ता सिटी में मोटरसाइकिल वर्कशॉप पर मिस्त्री का काम करता है। अरोपी मुकेश ने अपने साथी को चोरी की बाईक देकर भेजा था जिसको यातायात पुलिस ने पकड़ लिया था। अरोपी मुकेश और भी वाहन चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली मेटो में नौकरी के नाम पर झांसा रूपयों की ठगी करने वाला गिरफतार

पुलिस थाना कि.गंज में अभियुक्त विभौरसिंह पुत्र मुक्तिनाथ सिंह जाति क्षत्रिय राजपूत निवासी म.न. 71 न्यू बस्ती खैरा कॉलोनी गुडा यूपी को गुड़गांव हरियाणा से गिरफतार किया गया। अभियुक्त द्वारा भगवंत यूर्निवसिटी में पढ़ाई करते समय पंचशील निवासी वरूण लौहिया व उमाशंकर को दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर 8–8 लाख रूपये की ठगी करते हुए धोखाधडी की है।

आरोपी फरार व ट्रक सहित माल बरामद कीमत रूपये 3,57800/—(तीन लाख सतावन हजार आठ सौ) बरामद

पुलिस थाना गांधीनगर में समय करीब 11.15 पीएम पर जरिये मोबाईल सूचना मिली कि एन एच 08 सडक से कृष्णापुरी फाटक की और जाने वाली सडक पर एक ट्रक मे 4–5 व्यक्ति स्कूल ग्राउण्ड के पास पडे पानी के पाईपो को चोरी कर ले जाने की नियत से भर रहे है तथा उन्होने कुछ पाईप एन एच 08 सडक के पास कृष्णापुरी सडक मोड से भी भरे है आदि इतला पर पूर्व में गस्त हेतु रवानाशुदा हैड फतेहसिंह मय जाप्ता जीप सरकारी को अविलम्ब घटना स्थल पहुंचने हेतु निर्देशित किया जिस फतेहसिंह मय जाप्ता जीप सरकारी मौके पर पहुंचा और देखा कि कृष्णापुरी फाटक के सामने सडक पर स्कूल ग्राउण्ड के पास 4–5 व्यक्ति पाईप भरते नजर आये जो पुलिस की जीप को देखकर अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गये तथा ट्रक मे ड्राईवर शीट पर बैठा व्यक्ति ट्रक को लेकर भागने लगा तो ट्रक के नम्बर एच आर 74 9258 नजर आये जिस पर ट्रक का पीछा किया गया एव कन्ट्रोल रूम अजमेर के मार्फत थाना किशनगढ व थाना श्रीनगर की नाकाबंदी करवायी गयी तथा ट्रक का पीछा किया गया तो नये पीटीएस नसीराबाद रोड पर ट्रक चालक ट्रक को छोडकर ट्रक से कूदकर अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया। ट्रक केबिन मे बोर्डर की पर्चीया व परमीट की रगीन फोटो प्रति मिली जिस पर ट्रक नम्बर एच आर 74 – 9258 अकिंत है ट्रक मय ट्रक मे भरे पानी के पाईपो को लेकर उप0 थाना आया ट्रक न0 एच आर 74 – 9258 का चालक व अन्य 4–5 व्यक्तियों जलदाय विभाग के पानी के पाईप चोरी की नियत से ट्रक मे भरकर ले जाते पाये गये ।

उपरोक्त घटाना के क्रम में एक हस्तलिखित रिपोर्ट ओमप्रकाश शर्मा S/O राधेश्याम शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 52 साल R/O म0 नं0 123 A वास्तु नगर फैज 7 गणतपुरा मानसरोवर जयपुर पुलिस थाना मानसरोवर जिला जयपुर महानगर ने उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेष की कि शहरी पेयजल योजना किशनगढ के अन्तर्गत M/S ऑफषोर इन्फ्रास्ट्रकचर्स लि0 मुम्बई को विभागीय कार्यादेश क्रमांक 17600–17656 दिनांक 21.02.17 के अन्तर्गत मालियो की ढाणी रोड एन एच 8 से कृष्णा पुरी फाटक की तरफ जाने वाली सडक पर रखे गये पाइपो मे से 40 पाईप (200 mm DIK–7) चोरी हो गये है। उपरोक्त पाईप M/S जिन्दल सॉ लि. समगोढा मंदडा जिला कच्छ गुजरात से M/S ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रकचर्स लि0 को

ट्रक क्रमांक G K 12 A U 7671 के द्वारा दिनांक 23.08.17 को किशनगढ साईट पर आये थे जो कि दिनांक 24.08.17 को साईट पर खाली करवाये थे जिनमे से 40 पाईप गायब मिले। उक्त पाईपो पर PHED KSG पार्ट 2, DIK 7, 200 K 7 G 01 लम्बाई 5.5 मीटर अंकित है। घटना दिनांक 26.08.17 की रात्रि की है। तत्पश्चात पुलिस थाना गांधीनगर से आज सुबह 8.45 AM पर फोन आया कि आज रात्रि मे जलदाय विभाग के पाईप चोरी करते समय वाहन ट्रक नं0 HR 74–9258 मय पाईपो के पकडे है। आप आ करके अपने माल का मिलान करे। तत्पश्चात थाने मे खडे ट्रक मे रखे पाईपो का मिलान बेच नं0 साइज आदि किया गया तो ट्रक नं0 HR 74 9258 मे भरे पाइप जिन्दल सां लि0 गुजरात से ऑफषोर इन्फ्रास्ट्रकचर्स लि0 को भेजे गये 200mm K 7 D I पाईप के बेच नं0 आदि से मिलान किया गया जो कि सही पाये गये। ट्रक नं0 HR 74– 9258 का चालक व इनके साथ आये चोरो ने जलदाय विभाग के कुल 40 नग पाईप कृष्णापुरी उटंडा रोड एन एच 8 से एवं सरकारी स्कूल के मैदान के पास से चोरी करके ले गये है। अतः उक्त चोरी गये माल की अनुमानित कीमत रूपये 3,57800/–(तीन लाख सतावन हजार आठ सौ) के लगभग है । आदि रिपोर्ट पर मु0 नं0 197/17 धारा 379 भा0द0स0 मे दर्ज किया गया । वारदात में प्रयुक्त वाहन ट्रक नं0 HR 74–9258 तथा 40 नग पाईप माल की अनुमानित **कीमत रूपये 3,57800/–(तीन लाख सतावन हजार आठ सौ) बरामद** हो चुके है। तलाश मुल्जिमान व अनुसंधान जारी है।

18 सालों से फरार हत्या के आरोपी को किया गिरफतार

पुलिस थाना मदनगंज में जिला पूलिस अधीक्षक अजमेंर ने जिले के पुराने मामलों में फरार अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मदनगंज के 18 साल पुराने हत्या के प्रकरण में वांछित अपराधी गिरधारी पुत्र हरिराम उर्फ सीताराम नायक को गिरफ्तार किया गया ।करीब 18 साल पहले हाउसिंग बोर्ड मकानों से सामने एक अज्ञात लाश मिली थी जिस पर थाना मदनगंज पर एक प्रकरण स 241/99 धारा 302,201 भादस के अन्तर्गत एक प्रकरण दर्ज किया गया था अनुसंधान में अज्ञात मृतक की पहचान उतम महतो पुत्र जोहरीलाल महतो निवासी भगवानी छपरा थाना गरावा हाल बिहार उम्र 22 साल के रूप में पहचान हुई थी जो वहां पर चौकी दारी का काम करता था । उसी जगह पर अभियुक्त का परिवार भी काम करता था। वहां पर आपसी बातचित को लेकर शराब पीते हुए किसी बात पर आपस में झगड गये थे इसी दौरान अभियुक्त गिरधारी लाल व उसकी पत्नि शारदा व अपने साले राधेश्याम के साथ मिलकर उसकी उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी व लाश को वाहर ले जाकर दूर ले जाकर तीनों ने मिलकर फैक दिया था। दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण शारदा व राधेश्याम को उसी समय गिरफतार कर दिया था पर गिरधारी लाल वहां से फरार हो गया था । फरारी के दौरान वह साधू वेश मे पुष्कर में काफी साल रहा व विगत समय पुलिस आवाजाही से वहां से फरार होकर सवाई माधोपुर में मजदूरी करने लगा । इसी दौरान श्रीमान एस पी साहब के आदेशानुसार वृताधिकारी किशनगढ के निर्देशन एक विशेष टीम थानाधिकारी जोगेन्द्र राठौड के अगुवाई में गठित की गई । इस टीम के सदस्यों मे से सुनील दीपावत न 508 व गोविन्दराम का विशेष

योगदान रहा जिन्होने लगातार एक महिना इस अभियुक्त की हर रहने के ठिकाने व अलग अलग जगह पर जाकर पारम्परिक पुलिसीग के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इसके बारे में आसूचना एकत्र की । प्राप्त जानकारी के आधार पर उक्त दौनो जवानों ने अभियुक्त गिरधारी की पहचान करली थी पर उक्त अभियुक्त अपना नाम व पहचान बदल कर रह रहा था । जिसके बारे में पुरी तरह से आश्वश्त होने के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसमें अपना असली नाम बताया जिसको थाने पर लाकर गिरफतार किया गया । दौराने पुछताछ बताया कि फरारी के दौरान विभिन्न नामो से विभिन्न शहरों में मजदूरी कर अपना समय व्यतीत किया।उक्त गिरधारी लाल नायक पिता हरिराम नायक को गिरफतार कर आज न्यायालय में पेश किया जहा पर उसे दो दिन का पुलिस अभिरक्षा मे सौपा गया है जिससे और घटना के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है ।

स्थाई वारंटी में तीन वारन्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना जवाजा में एक स्थाई वांरटी राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिह जाति रावत उम्र 32 साल निवासी डूगा जी कागांव थाना भीम जिला राजसमंद को गिरफतार किया जाकर न्यायालय मे पेशकिया गया। जहां से जेसी के आदेश हुये।

पुलिस थाना मदनगंज में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों पर मदनगंज थाना पर आज दिनांक 28.8.17 को लम्बे समय से तारीख पेषी से फरार चल रहे 2 स्थाई गिरफतारी वारंटी 1. **बाबुखॉ पुत्र अहमद हुसैन देशवाली मुसलमान निवासी नरेना जिला जयपुर का स्थाई गिर0 वरारन्ट को** रविकान्त पु0नि0 पुलिस लाईन अजमेर द्वारा तमील कराई गई जिसकी फाती रपोर्ट पेश की गई एवं 2. **नेनसिंह**

पुत्र मोती सिंह निवासी 254 शिव मन्दिर के सामने गली कृष्णापुरी मदनगंज अजमेर का जमानती स्ज्ञथाई वारंट होने से टीम रामनिवास मोहन कानि 2402 द्वारा जमानत मुचलके लिया जाकर न्यायालय मे पेश किया गया।

10 वर्ष से फरार स्थाई गिरफतारी वारण्टी गिरफतार

पुलिस थाना पुष्कर द्वारा गत 10 वर्ष से फरार स्थाई वारण्टी **हरजी राम पुत्र शंकर जाति बाबरी उम्र** 45 **साल निवासी तिलोरा थाना पुष्कर जिला अजमेर को आमदा न्यायालय पुष्कर धारा** 7–19 **भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधि.** 1972 **मु न** 563/93 को श्री श्रवण कुमार सउनि द्वारा गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया, जहां से जे सी आदेश प्राप्त होने पर जेल दाखिल कराया गया।

फरार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना गंज द्वारा ए.डी.एम. शहर अजमेर से जारी गिरफ्तारी वारण्टों की पालना में 1. पप्पू पुत्र सुल्तान जाति चीता उम्र 29 साल नि. तेजाजी मन्दिर के पास ग्राम खेरखडी थाना गंज अजमेर व 2. भोला पुत्र कल्ला जाति चीता उम्र 40 साल नि. ग्राम खरेखडी फायसागर रोड थाना गंज अजमेर को गिरफ्तार किया जाकर पेश न्यायालय किया गया।

मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना नसीराबाद सदर मे अपराध संख्या 263/2017 धारा 452,323,341 भादस पुलिस थाना नसीराबाद सदर मे अनुसधान अधिकारी हरिनारायण ने मुलजिमान 1. अर्जुनसिंह पुत्र नैमिसिंह जाति रावत उम्र 23 साल निवासी सरदारपुरा थाना नसीराबाद सदर व 2. शिवराज पुत्र नैमिसिंह जाति रावत उम्र 20 साल निवासी सरदारपुरा थाना नसीराबाद सदर को गिरफ्तार कर एसीजेएम नसीराबाद के समक्ष पेश किया गया जहां से मुलजिमान को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

शांति भंग के आरोप में 07 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा में 1 रामप्रसाद पुत्र रघुनाथ जाति बागरिया उम्र साल निवासी तिलक नगर भीलवाडा हाल सरकारी 19 कालेज अजमेर को धारा 109, 151 जा फौ व 2 - काडी पत्नि पोलू जाति रावत उम्र साल निवासी रामपुरा 35 पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर 3. कमला पत्नि काडू

जाति रावत उम्र साल निवासी रामपुरा पुलिस थाना 60 मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 जा फौ में गिरफ्तार किया गया

पुलिस थाना केकडी में सुखराम मीणा हैड कानि0 द्वारा रात्री में गैरसायल केदारमल पुत्र प्रहलाद जति गुर्जर उम्र 24 साल निवासी मेवदाकला थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग में गिरफतार किया गया।
पुलिस थाना नसीराबाद सिटी में सउनि अमरचन्द मनिहाल व महिला आचू देवी मय चालक दीप सिह मय के गैरसायला लाली देवी पत्नी गोपाल जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी म0न0 1848 /04 गाडी मौहल्ला नसीराबाद को धारा 151 जाफौ मे अदम अदखाल गिरफतार किया गया ।

पुलिस थाना पीसांगन में सुखपाल पुत्र बाबूलाल जाति रेगर उम्र 28 साल निवासी दांतडा व इन्द्र मेघवाल पुत्र भवरलाल मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी इन्द्रा कांलोनी पीसांगन को धारा 107,116(3),151 सी आर पी सी में गिरफतार किया जिन्हे आज दिनांक 28.07.17 को एसडीएम कोर्ट पीसांगन पेश किया गया जिन्हे दोनो को 10–10 हजार के जमानत मुचलके पर 6 माह पांबद किया जाकर रिहा किया गया !

पुलिस थाना रामगंज क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर राहुल पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति रावत उम्र 21 साल निवासी नया बडगांव थाना आदर्शनगर अजमेर धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।

चोरी का आरोपी करीब 9 साल से फरार था आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना नसीराबाद सिटी में अनिल कुमार राजसिह व धीरज कुमार द्वारा थाना के स्थाई वारंटी **नरेन्द कुमार पुत्र सत्तु उम्र** 30 **साल जाति तेली निवासी मं नं** 2786 **कुम्हार मोहल्ला नसीराबाद जिला अजमेर कोट केस न** 462/2009 **धारा** 379 **भादस** जो करीब 9 साल से फरार चल रहा था आज दिनांक 28.8.17 को अदम अदखाल गिरफतार किया गया है ।

शराब पीकर वाहन चलाते एक गिरफ्तार

पुलिस थाना केकडी में हरिराम कुमावत पु0नि0 मय जाप्ता द्वारा रात्री में गस्त एंव जुरायम कंट्रोल के दौरान टीवीएस चालक राकेश पुत्र गन्दीलाल जाति टेलर उम्र 39 साल निवासी प्रान्हेडा हाल कृष्णा नगर केकडी थाना केकडी जिला अजमेर को शराब पीकर वाहन चलाते हुये गिरफतार किया गया।